

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक : 01 मई- 2018,

आदेशः-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह मई- 2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र0सं0	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य
01	02	03	04	05
1-	पीठ-1, इलाहाबाद	पीठ 1 व 2 इलाहाबाद	07.05.18 से 11.05.18	पीठ-1, इलाहाबाद (न्याय0) व पीठ- 2, इलाहाबाद (वि0)
2-	पीठ-बरेली	पीठ- बरेली	07.05.18 से 11.05.18	पीठ-बरेली (न्याय0) व मुरादाबाद (वि0)
3-	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	07.05.18 से 11.05.18	पीठ-1, गाजियाबाद (न्याय0) व पीठ फ़ैजाबाद (वि0)
4-	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	07.05.18 से 11.05.18	पीठ-1 नोएडा(न्याय0) व पीठ-2नोएडा (वि0)

ह0-01.05.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 742/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

प्रभारी निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।